संख्या-47/2020/2420/33-3-2020-57/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव,

उ0 प्र0 शासन

सेवा में,

निदेशक,

पंचायतीराज,

उ0प्र0, लखनऊ

पंचायतीराज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 23 अक्टूबर, 2020**

विषय:- 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत जनपद-कुशीनगर के ग्राम पंचायत-हाटा, विकास खण्ड-सेवरही को निष्पादन अनुदान वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत प्रदत्त धनराशि के सापेक्ष योजनाओं की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ग्राम पंचायत-हाटा, विकास खण्ड-सेवरी, जनपद-कुशीनगर को वित्तीय वर्ष 2016-17 की निष्पादन अनुदान के अन्तर्गत रू. 3,05,35,668/- की धनराशि शासनादेश संख्या-27/2020/907/33-3-2020-02/2016, दिनांक 24.04.2020 द्वारा स्वीकृत की गई है। उपरोक्त शासनादेश में दिए गए निर्देश के अनुसार जनपद स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 28.09.2020 में संस्तुत परियोजनाओं का परीक्षण कर राज्य स्तरीय समिति को संदर्भित किया गया है।

राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 30.09.2020 में जनपद से प्राप्त परियोजनाओं पर विचार कर संस्तुति की गई। राज्य स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 15.10.2020 निर्गत किया गया है। राज्य स्तरीय समिति द्वारा संस्तुति के दृष्टिगत संलग्नक-1 पर दिए गए परियोजनाओं के विवरण के अनुसार **रू. 2,96,73,050/-** लागत की स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1- निर्गत स्वीकृति के सापेक्ष जनपद स्तर पर सक्षम स्तर से प्रशासकीय, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। जनपद में प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त योजनाओं के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत- हाटा, विकास खण्ड-सेवरही, जनपद-कुशीनगर को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रथम किश्त की धनराशि का, 70 प्रतिशत व्यय होने पर 40 प्रतिशत द्वितीय

http://shasanadesh.up.gov.in

किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी एवं शेश 10 प्रतिशत की तृतीय किश्त भौतिक कार्य पूर्ण होने तथा संतोशजनक गुणवत्ता के प्रमाणपत्र के उपरान्त निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत को अवमुक्त की जायेगी।

2- इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि 14वें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-02/2016 दिनांक 18.02.2016 एवं समय-समय पर निर्गत किये गये मार्गदश्र्ाी सिद्धान्तों एवं प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

3- प्रत्येक कार्य (वर्क आई.डी.) की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य को प्रारम्भ किया जायेगा एवं यह जानकारी ई-ग्राम स्वराज के पोर्टल पर प्रोगेस रिपोर्ट मद में अंकित की जायेगी। प्रत्येक कार्य (वर्क आई.डी.) के सापेक्ष समस्त भुगतान ई-ग्राम स्वराज एप्लीकेशन (जो पी.एफ.एम.एस. साफ्टवेयर से स्वीकृत हो) के माध्यम से किया जायेगा।

4- राज्य स्तरीय समिति द्वारा आगणन का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं तद्नुसार प्रस्तावित प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें उल्लेखनीय परिवर्तन समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी/प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्रांइग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन होता है, तो पुनरीक्षित प्रायोजना पर जिला स्तरीय समिति के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5- निविदा खोलने एवं निविदा मूल्यांकन करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर एक निविदा समिति का गठन किया जायेगा।

6- कार्यों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर कार्य करने के निर्देश पंचायतों को दिए गए हैं। निविदा डालने हेतु एक टेण्डर बाक्स ग्राम पंचायत में तथा एक टेण्डर बाक्स जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में रखा जायेगा। दोनो टेण्डर बाक्स एक साथ निविदा समिति के समक्ष खोले जाऐंगें।

7- जिलाधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करेंगें जो समय-समय पर कार्यों का भौतिक सत्यापन व पर्यवेक्षण करेंगें।

8- प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

9- निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष निर्माण कार्य तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रारम्भ किया जायेगा जिससे कॉस्ट ओवर रन, टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

10- यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

11- परियोजना के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि के लेखे का विवरण पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ में रखा जायेगा।

12- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

13- शासकीय व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अक्षरशः पालन किया जाये।

14- ग्राम पंचायत हेतु स्वीकृत धनराशि का अधिकतम 01 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत, जनपद स्तर व राज्य स्तर पर कार्यों में कन्सलटेंसी सर्विस, पर्यवेक्षण, मॉनीटरिंग व इवोल्युशन के लिए उपयोग की जा सकती है।

15. वित्तीय स्वीकृति जारी के सम्बन्ध में धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, अन्य मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- यह शासनादेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के आदेश संख्या-01/2020/बी-1-149 /दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या व दिनांक:- तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम उ0 प्र0, इलाहाबाद।

2- जिलाधिकारी, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश।

3- मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश।

4- अपर निदेशक, आर.सी.यू.ई.एस., लखनऊ।

5- उप निदेशक/सदस्य सचिव, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0।

6- जिला पंचायतराज अधिकारी, कुशीनगर।

7- ग्राम प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत-हाटा, विकास खण्ड-सेवरही, कुशीनगर।

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संलग्नक-1

शासनादेश संख्या-47/2020/2420/33-3-2020-57/2020 दिनांक 23.10.2020 द्वारा 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जनपद-कुशीनगर के ग्राम पंचायत-हाटा, विकास खण्ड-सेवरही को निष्पादन अनुदान वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत प्रदत्त धनराशि रू. 3,05,35,668/- के सापेक्ष योजनाओं की स्वीकृति सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत धनराशि
(A)	**भवन निर्माण/सुन्दरीकरण**	
1	प्राथमिक विद्यालय हरदिया का भवन मरम्मत एवं सुन्दरीकरण कार्य	2104000
2	प्राथमिक विद्यालय हाता का भवन मरम्मत एवं सुन्दरीकरण कार्य	1271000
3	ऑगनवाड़ी हाता का भवन एवं सुन्दरीकरण कार्य	322000
4	प्राथमिक विद्यालय हरदिया का बाउड्रीवाल एवं गेट निर्माण कार्य	1422000
	योग (A) रूपये	**5119000**
(B)	**इण्टरलाकिंग का कार्य**	
5	निरहुगंज में रकबा पिच से कालीमन्दिर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	1796000
6	निरहुगंज में रकबा पिच से रामाकान्त कुशवाहा के घर तक इण्टरलाकिंग	858000
7	दीना मिश्रा के घर से हसीना के घर होते हुए छठ स्थान तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	1418000
8	अवनिश पाण्डेय के घर से सब्जा के घर तक इण्टरलाकिग कार्य	795000
9	हरदिया में रामाशिष के घर से पिच सड़क तक इण्टरलाकिंग कार्य	539000
10	मस्जिद से हरदिया सड़क तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	2279000
11	डिबनी पिच से निरहुगंज कालीमन्दिर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	1853000
12	नारायनपुर पिच से विरष यादव के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	2927000
13	निरहुगंज चुल्हाघर से सुभाष यादव के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	1442000
14	निरहुगंज कालीमन्दिर से चुल्हाघर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	1590000

http://shasanadesh.up.gov.in

	योग (B)रूपये	**15497000**
(C)	**सी0सी0 सड़क निर्माण**	
15	पिच रोड से हरि नारायण पाण्डेय के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	862000
16	पंचायत भवन से दिलजान मिया के घर होते हुए पोखरे तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य	2546000
17	सतेन्द्र पाण्डेय के घर से शिवनाथ के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	1149000
18	हृदया मिश्रा के खेत से पवन पाण्डेय के घर तक सी0सी0 सड़क निर्माण	778000
19	चुमन राय के घर से अशोक राय के घर तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य	367000
20	वकील सिंह के खेत से पोखरे तक नाली निर्माण कार्य	133000
21	पिच रोड से पंचा के घर तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य	584000
22	पिच रोड से योगेन्द्र राय के घर तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य	801000
23	पिच रोड से राजेन्द्र के घर तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य	293000
	योग(C) रूपये	**7513000**
(D)	**अन्य कार्य**	
25	प्राथमिक विद्यालय हरदिया में पुस्तकालय कार्य	244050
26	प्राथमिक विद्यालय हरदिया में फर्नीचर कार्य	144000
27	प्राथमिक विद्यालय हाता में फर्नीचर कार्य	108000
28	आर0ओ0 प्लान्ट	1048000
	योग (D) रूपये	**1544050**
	महायोग A+B+C+D रूपये	**29673050**

http://shasanadesh.up.gov.in

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।